# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./83/2017/बाड़मेर**

| अपीलांट | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| 1. श्रीमती खेतुदेवी पुत्री पेमाराम<br>2. श्रीमती अणदुदेवी पुत्री श्री पेमाराम<br>3. श्रीमती मूलीदेवी पुत्री श्री पेमाराम<br>जति जाट निवासी सेवरो की ढाणी डंडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर | बनाम 1.केहनाराम पुत्र फुआराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी सेवरों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर<br>2.श्री तहसीलदार सिणधरी |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व वाद संख्या 134/2016 बअनवान खेतुदेवी वगै. बनाम पेमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2017।**

**उपस्थित**

1. अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेण्ट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 27.06.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 हिन्दू विधि से शासित है प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का सगा भाई है। पक्षकारान वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 656/313 रकबा 50.18 बीघा आई हुई है उसमें 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के संयुक्त परिवार का है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का है इस तरह से इस आराजी में हिस्सा 1/8 वादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा वादी संख्या 02 का व 1/8 हिस्सा वादी संख्या 03 का व शेष 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का है प्रतिवादी संख्या 02 जो प्रतिवादी संख्या 01 का छोटा भाई तथा वादीगण का चाचा है ने प्रतिवादी संख्या 01 को प्रभावित कर उसके अकेले के नाम पर वादग्रस्त आराजी में अंकित हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1/2 जरिये पंजीबद्ध हकतर्कनामा दिनांक 20.06.2011 को अपने पक्ष में निष्पादित करा दिया जिसका ज्ञान वादीगण को दिनांक 22.06.2011 को प्रतिवादी संख्या 03 जो वादीगण की माता है के बताने पर हुआ जिस पर उप तहसील कार्यालय में जाकर जांच कराई तो प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में खातेदारी जोत का हकतर्कनामा पंजीबद्ध कराने की जानकारी हुई जिस पर वादीगण द्वारा अपने प्रतिनिधि के मार्फत दस्तावेजात की नकल मंगवाई जिसे देखने पर जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर आराजी खसरा नम्बर 256/313 रकबा 50.18 बीघा के निस्फ हिस्से के खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में हकर्तक दस्तावेज से हस्तांतरित कर दिये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा पेश वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध जाकर पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट डंडाली में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट/वादीनी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 27.05.2017 केम्प कोर्ट में क्षैत्राधिकार के बिंदु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय डंडाली में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2012920 Page 936
RRT 2016(1) Page 320
RRT 2018(2) Page 1425

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादीनी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सकी इसके अभाव में वह अपना हक पाने की अधिकारिणी नहीं ठहरती है। रजिस्टर्ड हकर्तकनामा प्रभाव में है। हकर्तकनामा के प्रभाव में रहते अपीलांटगण/वादीनी राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है और हकर्तकनामा को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय डंडाली में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में हकर्तकनामा प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। वादिनी/अपीलांट का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक निहित था, तत्पश्चात यदि कोई हकर्तकनामा निष्पादित हुआ है तो वह उसके हक–हिस्से तक प्रारंभत शून्य एवं निष्प्रभावी(Null & Void) है उसे निष्प्रभावी कराने की कोई इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण/वादिनी के द्वारा प्रस्तुत वाद में नहीं चाही है। वादिनीगण को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित होगा।

लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व वाद संख्या 134/2016 बअनवान खेतुदेवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वगै. बनाम पेमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण/वादीनी के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर वाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.08.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

(प्रदीप पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर